न्यायालय तहसीलदार जसवंततपुरा जिला–जालोर

मुकदमा नंबर 01/2019

सरकार बनाम गैरसायल

पटवारी हल्का गोलाणा

श्री नरहरीनाथ चेला पुत्र कमलनाथ
जाति मेघवाल निवासी जसवंतपुरा

निर्णय

दिनांकः–17.07.2019

पत्रावली पेश हुई। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोलाणा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2076 में मौजा गोलाणा के खसरा नंबर 1535 रकबा 0.36 हेक्टर किस्म गैमु पहाड में अनाधिकृत रूप से कब्जा रहवासी मकान दो साईड पक्की दिवार व तारबंदी कर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नें अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नही किये इससे साफ जाहिर है कि गैरसायल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार है।

अतः गैरसायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (1)के तहत संवत 2074 में मौजा गोलाणा के ख़सरा नंबर 1535 रकबा 0.36 हेक्टर किस्म गैमु पहाड में अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित रकबे से भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये साथ ही भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत अतिक्रमित रकबे का वार्षिक लगान 15 का 50 गुणा रू0 750/– अक्षरे सात सौ पच्चास रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा ,पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार सूचित होकर पत्रावली नंबर से कम हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार जसवंतपुरा

Scanned by CamScanner